भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *483
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

***483. श्री सुदामा प्रसाद:**
सुश्री कंगना रनौत :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना के अंतर्गत विगत दस वर्षों के दौरान जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) और लड़कियों के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में सुधार का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) जमीनी स्तर पर बीबीबीपी योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत दस वर्षों के दौरान मातृ मृत्यु/शिशु मृत्यु दर का राज्यवार एवं जिलावार ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न अभियानों के हितधारकों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या परामर्श किए गए हैं;
(ङ) विगत दस वर्षों के दौरान विभिन्न पहलों के लिए संवितरित राशि सहित उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार ने विगत दस वर्षों के दौरान बीबीबीपीएस के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई समिति गठित की है या कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया है, यदि हां, तो उसके प्रभाव के आकलन संबंधी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (च) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

*****

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना' के संबंध में श्री सुदामा प्रसाद एवं सुश्री कंगना रनौत द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *483 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (च): बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना 22 जनवरी 2015 को बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में गिरावट तथा लड़कियों और महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना में सभी हितधारकों को सूचित, प्रभावित, प्रेरित, शामिल करके और सशक्त बनाकर बालिकाओं के प्रति मानसिकता और व्यवहार में बदलाव लाने पर जोर दिया गया है।

सरकारी एजेंसियों, मीडिया, नागरिक समाज और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों को संगठित करके बीबीबीपी एक नीतिगत पहल से राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गया है। इस आंदोलन का उद्देश्य न केवल लिंगानुपात और लिंग आधारित भेदभाव से संबंधित तात्कालिक चिंताओं को दूर करना है, बल्कि बालिकाओं को महत्व देने तथा उनके अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा देना भी है।

नीति आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं का मूल्यांकन किया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर, मंत्रालय ने मिशन शक्ति के तहत दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है, जिसमें बहु-क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से देश के सभी जिलों में इस योजना को लागू करना और बालिकाओं के बीच खेल को बढ़ावा देने, आत्मरक्षा शिविरों, पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करना जैसे सीधे बुनियादी प्रभाव वाली गतिविधियों पर अधिक व्यय को प्रोत्साहित करना शामिल है।

मंत्रालय ने एक परिचालन मैनुअल तैयार किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बालिकाओं के समग्र विकास तथा बालिकाओं, उनके परिवारों और समुदायों की वर्ष भर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर सुझाए गए सहयोगात्मक कार्यकलापों के लिए महीने-वार विशिष्ट थीम वाला विषयगत कैलेंडर शामिल है।

जिला, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर आयोजित कार्यकलापों की तत्समय निगरानी के लिए बीबीबीपी डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। मंत्रालय नियमित रूप से परामर्श जारी करता है तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ समय-समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना की समीक्षा करता है। इस योजना के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा भी किया जाता है। कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड की बैठकों के दौरान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार विस्तृत समीक्षा की जाती है जिसमें मंत्रालय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर एसआरबी 12 अंकों के निवल परिवर्तन के साथ वर्ष 2014-15 में 918 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 930 हो गया है। वर्ष 2014-15 और वर्ष 2023-24 के एचएमआईएस आंकड़ों के अनुसार राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार एसआरबी **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

इसके अलावा, माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) वर्ष 2014-15 में 75.51 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 78 प्रतिशत हो गया है [यूडीआईएसई-आंकड़े, शिक्षा

मंत्रालय]। वर्ष 2014-15 और वर्ष 2023-24 का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार जीईआर यूडीआईएसई + रिपोर्ट 2023-24-मौजूदा संरचना में उपलब्ध है, जो इस लिंक पर उपलब्ध है: https://udiseplus.gov.in/#/en/page/publications।

भारत के महापंजीयक (आरजीआई) की नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011 से वर्ष 2020 तक की अवधि की राष्ट्रीय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) **अनुलग्नक II** में दी गई है।

आरजीआई द्वारा जारी मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) संबंधी विशेष बुलेटिन के अनुसार मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक III** में दिया गया है।

बीबीबीपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत केंद्र सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) या एसएनए स्पर्श के लिए व्यय विभाग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर निधि जारी की जा रही है। इस योजना के तहत आवंटित निधि और संवितरित की गई राशि का विवरण **अनुलग्नक IV** में संलग्न है।

***

अनुलग्नक- I

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना' के संबंध में श्री सुदामा प्रसाद और सुश्री कंगना रनौत द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *483 के भाग (क) से (च) में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार जन्म के समय लिंगानुपात

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	जन्म के समय लिंगानुपात (*प्रति 1000 जीवित जन्म पर महिला जीवित जन्म/पुरुष जन्म)	
	वर्ष	2014-15	2023-24
	अखिल भारत	918	930
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	967	832
2	आंध्र प्रदेश	921	944
3	अरुणाचल प्रदेश	916	971
4	असम	920	951
5	बिहार	936	882
6	चंडीगढ़	874	916
7	छत्तीसगढ़	930	965
8	दादरा एवं नगर हवेली	939	924
	दमन और दीव	894	
9	दिल्ली	901	918
10	गोवा	939	977
11	गुजरात	901	925
12	हरियाणा	876	917
13	हिमाचल प्रदेश	897	930
14	जम्मू एवं कश्मीर	936	955
15	झारखंड	920	931
16	कर्नाटक	945	945
17	केरल	959	962
18	लक्षद्वीप	1,000	831
19	लद्दाख	--	962
20	मध्य प्रदेश	926	929
21	महाराष्ट्र	920	915
22	मणिपुर	933	929
23	मेघालय	938	946
24	मिजोरम	971	964
25	नागालैंड	948	919
26	ओडिशा	948	926
27	पुदुच्चेरी	916	960
28	पंजाब	892	924

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	जन्म के समय लिंगानुपात (*प्रति 1000 जीवित जन्म पर महिला जीवित जन्म/पुरुष जन्म)	
	वर्ष	**2014-15**	**2023-24**
29	राजस्थान	929	941
30	सिक्किम	957	949
31	तमिलनाडु	917	939
32	तेलंगाना	925	917
33	त्रिपुरा	958	973
34	उत्तर प्रदेश	885	936
35	उत्तराखंड	903	942
36	पश्चिम बंगाल	942	945

स्रोत: स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) (आंकड़े सांख्यिकीय रूप से पूर्णांक में हैं)

****

अनुलग्नक- II

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना' के संबंध में श्री सुदामा प्रसाद और सुश्री कंगना रनौत द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *483 के भाग (क) से (च) में उल्लिखित अनुलग्नक

	शिशु मृत्यु दर की स्थिति*(प्रति 1,000 जीवित जन्म)										
क्र. सं.		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	अखिल भारत	44	42	40	39	37	34	33	32	30	28
1	आंध्र प्रदेश	43	41	39	39	37	34	32	29	25	24
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	23	24	24	22	20	16	14	9	7	7
3	अरुणाचल प्रदेश	32	33	32	30	30	36	42	37	29	21
4	असम	55	55	54	49	47	44	44	41	40	36
5	बिहार	44	43	42	42	42	38	35	32	29	27
6	चंडीगढ़	20	20	21	23	21	14	14	13	13	8
7	छत्तीसगढ़	48	47	46	43	41	39	38	41	40	38
8	दादरा और नगर हवेली	35	33	31	26	21	17	13	13	11	16
	दमन और दीव	22	22	20	18	18	19	17	16	17	
9	दिल्ली	28	25	24	20	18	18	16	13	11	12
10	गोवा	11	10	9	10	9	8	9	7	8	5
11	गुजरात	41	38	36	35	33	30	30	28	25	23
12	हरियाणा	44	42	41	36	36	33	30	30	27	28
13	हिमाचल प्रदेश	38	36	35	32	28	25	22	19	19	17
14	जम्मू एवं कश्मीर	41	39	37	34	26	24	23	22	20	17
15	झारखंड	39	38	37	34	32	29	29	30	27	25
16	कर्नाटक	35	32	31	29	28	24	25	23	21	19
17	केरल	12	12	12	12	12	10	10	7	6	6
18	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
19	लक्षद्वीप	24	24	24	20	20	19	20	14	8	9
20	मध्य प्रदेश	59	56	54	52	50	47	47	48	46	43
21	महाराष्ट्र	25	25	24	22	21	19	19	19	17	16
22	मणिपुर	11	10	10	11	9	11	12	11	10	6
23	मेघालय	52	49	47	46	42	39	39	33	33	29
24	मिजोरम	34	35	35	32	32	27	15	5	3	3
25	नागालैंड	21	18	18	14	12	12	7	4	3	4
26	ओडिशा	57	53	51	49	46	44	41	40	38	36

	शिशु मृत्यु दर की स्थिति*(प्रति 1,000 जीवित जन्म)										
क्र. सं.		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
27	पुदुच्चेरी	19	17	17	14	11	10	11	11	9	6
28	पंजाब	30	28	26	24	23	21	21	20	19	18
29	राजस्थान	52	49	47	46	43	41	38	37	35	32
30	सिक्किम	26	24	22	19	18	16	12	7	5	5
31	तमिलनाडु	22	21	21	20	19	17	16	15	15	13
32	तेलंगाना	-	-	-	35	34	31	29	27	23	21
33	त्रिपुरा	29	28	26	21	20	24	29	27	21	18
34	उत्तर प्रदेश	57	53	50	48	46	43	41	43	41	38
35	उत्तराखंड	36	34	32	33	34	38	32	31	27	24
36	पश्चिम बंगाल	32	32	31	28	26	25	24	22	20	19
	** स्रोत: नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट, भारत के महापंजीयक*										

अनुलग्नक-III

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना' के संबंध में श्री सुदामा प्रसाद और सुश्री कंगना रनौत द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *483 के भाग (क) से (च) में उल्लिखित अनुलग्नक

मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति 1,00,000 जीवित जन्म)						
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2014-16**	**2015-17**	**2016-18**	**2017-19**	**2018-20**
	अखिल भारत	**130**	**122**	**113**	**103**	**97**
1	आंध्र प्रदेश	74	74	65	58	45
2	असम	237	229	215	205	195
3	बिहार	165	165	149	130	118
4	झारखंड		76	71	61	56
5	गुजरात	91	87	75	70	57
6	हरियाणा	101	98	91	96	110
7	कर्नाटक	108	97	92	83	69
8	केरल	46	42	43	30	19
9	मध्य प्रदेश	173	188	173	163	173
10	छत्तीसगढ़		141	159	160	137
11	महाराष्ट्र	61	55	46	38	33
12	ओडिशा	180	168	150	136	119
13	पंजाब	122	122	129	114	105
14	राजस्थान	199	186	164	141	113
15	तमिलनाडु	66	63	60	58	54
16	तेलंगाना	81	76	63	56	43
17	उत्तर प्रदेश	201	216	197	167	167
18	उत्तराखंड	-	89	99	101	103
19	पश्चिम बंगाल	101	94	98	109	103
20	अन्य राज्य	97	96	85	77	77
*एसआरएस निम्नलिखित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) जारी नहीं करते। - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुच्चेरी, सिक्किम, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, त्रिपुरा						

****

अनुलग्नक-IV

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना' के संबंध में श्री सुदामा प्रसाद और सुश्री कंगना रनौत द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *483 के भाग (क) से (च) में उल्लिखित अनुलग्नक

बीबीबीपी योजना के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक आवंटित और जारी की गई कुल निधि निम्नानुसार है:

करोड़ रुपये

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	संशोधित अनुमान (आर.ई.)	मीडिया प्रचार-प्रसार सहित बहुक्षेत्रीय कार्यकलाप के लिए जारी की गई निधि
1	2014-15	50	34.84
2	2015-16	75	59.37
3	2016-17	43	28.66
4	2017-18	200	169.1
5	2018-19	280	244.73
6	2019-20	200	85.78
7	2020-21	100	60.57
8	2021-22	100	58.8
9	2022-23	108	91.98
10	2023-24	90.5	88.63
11	2024-25	33.08	33.08
	कुल	**1279.58**	**955.54**

****